आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(13)/2018/20(1)2017 दिनांक–05 जनवरी 2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या–1 वर्ष 2018)में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–282747/XXX(2)/2025 E–20917 दिनांक–17 मार्च 2025 एवं शासनादेश संख्या–1/289938/XXX(2)/2025 E–33080 दिनांक 15.04.2025 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक–02.06.2025 में दी गई संस्तुति के क्रम में श्रीमती सोनम वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर निम्नानुसार कॉलम 04 में अंकित कार्यस्थल पर किया जाता है।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1.	2	3	4	5
1	श्रीमती सोनम, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी	मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार	स्वयं के अनुरोध पर

श्रीमती सोनम वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियमानुसार आदेश जारी होने के 10 दिन के अन्दर उपरोक्त ऑवटित नव तैनाती कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। श्रीमती सोनम का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध में किया जा रहा है, जिस हेतु उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नही होगा। स्थानान्तरण अधिनियम के नियम 24 के अन्तर्गत नियत अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरूद्व किसी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सम्बन्धित कार्मिक का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।

ह0
(के0सी0 पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक–कृ0नि0/ 2618 **/स्था0अनु0/वै0सहा0/वार्षिक स्थाना0/2025–26/दिनांक–** 10/6/25

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती सोनम वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, द्वारा मुख्य कृषि अधिकारी उत्तरकाशी।
2. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी को इस इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्रीमती सोनम को आदेश निर्गत होने के 7 दिन के अन्दर नव तैनाती कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी हरिद्वार को इस आशय के कि श्रीमती सोनम की योगदान सूचना से निदेशालय का अवगत कराना सुनिश्चित करे।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी।
5. अपर कृषि निदेशक गढवाल मण्डल पौडी।
6. कार्यालय आदेश पंजिका/गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।